

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-27/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० निहारिका नित्या, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सदर अस्पताल, खगडिया द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक 02.10.2024 से 30.03.2025 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-27/2022- 325(2) पटना, दिनांक 13/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगडिया/कोषागार पदाधिकारी, खगडिया/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खगडिया/डा० निहारिका नित्या, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सदर अस्पताल, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।